

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान-वार विवरणी एवं सेवा प्रदायी विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। इसमें उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ अन्य विशिष्ट बजटों का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।


3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर वर्ष अगस्त-सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट संहिता में निर्धारित है।

राज्य ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की थी जिसने वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित किया है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप-अनुखंडों में से एक है। हालांकि, राज्य ने सी0एफ0एम0एस0 युग के लेखांकन के साथ तालमेल रखने के लिये बिहार कोषागार संहिता को संशोधित नहीं किया था और वित्त विभाग को परिपत्रों के माध्यम से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए तब तक के लिए अधिकृत किया गया था जब तक कि बिहार कोषागार संहिता का एक व्यापक संशोधन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

विधायी प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्धारण के क्रम में वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग, अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। दो विभागों में बजट प्रक्रिया की समीक्षा पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

राज्यों द्वारा बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है:



3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

कुल बजटीय प्रावधान, संवितरण एवं बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित के रूप में विभाजित करते हुए नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत

(₹ करोड़ में)


	कुल बजट प्रावधान		कुल संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,20,987.62	17,962.60	1,70,439.38	16,787.93	50,548.24	1,174.67
पूँजीगत	45,974.55	0.00	31,541.69	0.00	14,432.86	0.00
लोक ऋण	0.00	14,670.03	0.00	14,351.08	0.00	318.95
ऋण एवं अग्रिम	2,091.66	0.00	2,056.76	0.00	34.90	0.00
कुल	2,69,053.83	32,632.63	2,04,037.83	31,139.01	65,016.00	1,493.62
	3,01,686.46		2,35,176.84		66,509.62	

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विस्तृत विनियोग लेख)

कुल व्यय ₹ 2,35,176.84 करोड़, ₹ 988.42 करोड़ की निवल राशि से अतिकथित था (विगत वर्षों में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखी गई राशि ₹ 3,713.42 करोड़ के समाशोधन के कारण अधिक एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखने के कारण ₹ 2,725.00 करोड़ से कम)।

राज्य का बजट अनुमान (ब0अ0) ₹ 2,37,691.21 करोड़ के लिए तैयार किया गया था। तत्पश्चात ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (अनु0प्रा0) भी किया गया जिससे राज्य का कुल बजट ₹ 3,01,686.46 करोड़ का हो गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य द्वारा केवल ₹ 2,35,176.84 करोड़ का व्यय किया गया, जो मूल बजट का लगभग 98.94 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, अंतिम बजट के सापेक्ष ₹ 66,509.62 करोड़ की बचत दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि बजट को उस सीमा तक अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया था।

चार्ट 3.2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान किए गए कुल प्रावधानों के सापेक्ष 77.95 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 4.78 प्रतिशत अधिक) व्यय किया था, जिसके परिणामस्वरूप 22.05 प्रतिशत की बचत हुई। फलतः, ₹ 63,995.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक हो गए, क्योंकि व्यय बजट के मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट बजटों जैसे कि परिणाम बजट, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट, हरित बजट और इन सभी पर उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार किए गए थे। इन बजटों का विश्लेषण किया गया, और उसके परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन की अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.1.2 भारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान 'भारित' और 'दत्तमत' में किये गये कुल संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2018-19	1,90,375.36	19,114.48	1,42,022.79	18,294.88	48,352.56	819.60	25.40	4.29
2019-20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020-21	2,24,274.43	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91
2021-22	2,41,479.13	23,917.74	1,71,395.87	22,806.33	70,083.26	1,111.41	29.02	4.65
2022-23	2,69,053.83	32,632.63	2,04,037.83	31,139.01	65,016.00	1,493.62	24.16	4.58

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 63,995.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

3.1.3 बजट कार्यकुशलता

3.1.3.1 समग्र बजट उत्पादकता

समग्र बजट उत्पादकता, यह मापती है कि समग्र बजटीय व्यय की उत्पादकता/वास्तविक व्यय मूल अनुमोदित राशि से कितनी अधिक अथवा कितनी कम है। इसका सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 का समग्र बजट उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	वास्तविक और ब0अ0 के बीच अंतर* (3)-(2)	प्रतिशत विचलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व	1,91,956.69	1,87,227.31	(-4,729.38)	(-2.46)
पूँजीगत	45,734.52	47,949.53	2,215.01	4.84
कुल	2,37,691.21	2,35,176.84	(-2,514.37)	(-1.06)

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

* मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविकी की अधिकता को (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान की तुलना में कमी को (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 2.46 प्रतिशत था। यह 32 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। इसके अलावा, एक अनुदान (14: ऋणों का पुनर्भुगतान) के राजस्व खंड में कोई बजट और व्यय नहीं था।

पूँजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में उत्पादकता का विचलन (+) 4.84 प्रतिशत था। यह सात अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा पांच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

अनुदान के पूँजीगत खंड में, निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:

- ✦ 19 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।
- ✦ तीन अनुदानों में, (04: कैबिनेट सचिवालय विभाग, 11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं 44: अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 कल्याण विभाग), वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 231.66 करोड़ के बजट प्रावधानों के विरुद्ध कोई भी व्यय नहीं किया गया था, जबकि अनुदान संख्या 11 (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) के अंतर्गत ₹33.50 करोड़ का अभ्यर्पण था।

3.1.3.2 व्यय संरचना की उत्पादकता

व्यय संरचना की उत्पादकता यह निर्धारित करती है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य निधियों का पुनर्आवंटन ने व्यय की संरचना को किस स्तर तक प्रभावित किया है, जैसा कि तालिका 3.4 में वर्णित है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए व्यय संरचना की उत्पादकता

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब0अ0)	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	वास्तविक उत्पादकता	पुन0अ0 और ब0अ0 के बीच अंतर	वास्तविक उत्पादकता एवं पुन0अ0 के बीच अंतर*	पुन0अ0 के संबंध में कॉलम 6 का प्रतिशत विचलन
1	2	3	4	5 (3-2)	6 (4-3)	7
राजस्व	1,91,956.69	2,33,598.19	1,87,227.31	41,641.50	(-)46,370.88	(-)19.85
पूँजीगत	45,734.52	56,136.64	47,949.53	10,402.12	(-)8,187.11	(-)14.58
कुल	2,37,691.21	2,89,734.83	2,35,176.84	52,043.62	(-)54,557.99	(-)18.83

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

* पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविकी की अधिकता को (+)चिन्ह के रूप में और पुनरीक्षित प्रावधान की तुलना में कमी को (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादकता का विचलन (-)19.85 प्रतिशत था। यह 31 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 15 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, पुन0अ0 की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 14.58 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच तथा एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

बिहार में, वर्ष 2022–23 के दौरान मूल बजट प्रावधानों को तीन अनुपूरक प्रावधानों द्वारा संवर्धित किया गया था और मूल बजट को ₹ 3,01,686.46 करोड़ (26.92 प्रतिशत तक) बढ़ा दिया गया था। कुल बजट के सापेक्ष उत्पादकता में विचलन तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: कुल बजट के सापेक्ष उत्पादकता में विचलन (2022-23 के दौरान)

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बजट	व्यय	उत्पादकता में विचलन	
			राशि	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में
राजस्व	2,38,950.22	1,87,227.31	(-)51,722.91	(-)21.65
पूँजीगत	62,736.24	47,949.53	(-)14,786.71	(-)23.57
कुल	3,01,686.46	2,35,176.84	(-)66,509.62	(-)22.05

(स्रोत: विनियोग लेखे 2022-23)

राजस्व खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 21.65 प्रतिशत था। यह 30 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खंड में, कुल बजट की तुलना में उत्पादकता का विचलन (-) 23.57 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 एवं ± 25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से अधिक एवं ± 50 प्रतिशत के बीच तथा आठ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से अधिक एवं ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

अनुदान के पूँजीगत खंड में, निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए :

- ★ पूँजीगत खंड के अंतर्गत 18 अनुदानों में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था।
- ★ यद्यपि चार अनुदानों (04: कैबिनेट सचिवालय विभाग, 11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 39: आपदा प्रबंधन विभाग और 44: अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग) के पूँजीगत खंड में ₹ 431.66 करोड़ का प्रावधान था, तथापि इसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था एवं एक अनुदान (11: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) में ₹ 33.50 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित एवं दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग-अलग दर्शाता है और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप हैं अथवा नहीं एवं ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

बजटीय सम्पूर्णता का अर्थ "लोक निधि को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना" है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ

भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है।

3.3.1 विनियोग अधिनियम/विस्तृत अनुदान मांगों द्वारा अधिदिष्टी के बिना (लोक लेखे/बैंक खातों में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात, व्यय हेतु, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभागों को भेजा जाता है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा समग्र प्रावधानित राशि का आहरण कर आगे के भुगतान/निष्पादन के लिए इसे लोक लेखा में जमा करा दिया जाता है, भले ही इनकी तत्काल आवश्यकता न हो।

यह पाया गया कि, वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग लेखे में 447¹ योजनाओं में, ₹ 20,015.61 करोड़ लोक लेखा में स्थानांतरित/जमा किए गए थे। ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक के ऐसे मामलों के कुछ प्रमुख उदाहरण तालिका 3.6 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6: मुख्य शीर्ष-8443 और मुख्य शीर्ष-8448 में ₹ 500 करोड़ एवं अधिक के अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बजट	कुल व्यय	लोक लेखा में अंतरित
राजस्व			
18-3456001020306 –राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण मिशन	564.34	499.19	499.19
20-2210012000209 –राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	550.00	543.70	543.70
37-3054041050001 –ग्रामीण सड़क- अन्य रखरखाव व्यय	3,050.00	3,057.74	2,981.14
पूँजीगत			
35-4070000510107 –मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	807.82	792.32	792.32
37-4515001030518 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)	700.00	700.00	700.00
37-4515001030519 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0)	700.00	700.00	700.00
37-4515007890104 –मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1,425.47	1,424.05	725.47
48-5075601900101 –पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	959.00	959.00	959.00
कुल	8,756.63	8,676.00	7,900.82

(स्रोत: विनियोग लेखे और वी0एल0सी0 आंकड़े)

यह भी देखा गया कि, कुल व्यय में से, पूँजीगत व्यय का 24.56 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम के तहत व्यय का 68.38 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 4.81 प्रतिशत, सिविल जमा और स्थानीय निधियों के खातों में जमा किया गया। जिन शीर्षों द्वारा जमा खाते (मुख्य शीर्ष-8448 और 8443) में निधियों का अंतरण हुआ उनका विवरण तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

¹ योजनाएं उप-शीर्ष स्तर तक बिल कोड को संदर्भित करती हैं।

तालिका 3.7: मुख्य शीर्ष 8443 एवं 8448 में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष-8448 में अंतरित				मुख्य शीर्ष -8443 में अंतरित			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राप्तियाँ	76.67	276.69	325.57	438.83	0	0	0.05	0.59
राजस्व व्यय	8,456.84	11,876.36	12,454.01	8,780.60	248.79	538.88	435.82	228.14
पूँजीगत व्यय	11,485.31	9,166.60	10,564.51	9,965.26	893.12	1,330.20	1,394.31	1,307.33
ऋण एवं अग्रिम	609.38	605.79	731.48	1,406.50	0	0	0	0
योग	20,628.20	21,925.44	24,075.57	20,591.19	1,141.91	1,869.08	1,830.18	1,536.06

(स्रोत: वी0एल0सी0 आंकड़े)

उपरोक्त के अलावा, 51 अनुदान नियंत्रक अधिकारियों में से 19 ने आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के बैंक खातों में अंतरित राशि की स्थिति का खुलासा किया। उन 19 अनुदानों में से, 11 अनुदानों के संबंध में 'शून्य' प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जबकि आठ अनुदानों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय के लिए आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के खातों में अंतरित राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। ₹ 10 करोड़ से अधिक राशि के ऐसे अंतरण के मामले तालिका 3.8 में वर्णित हैं।

तालिका 3.8: आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों के खाते में अंतरित धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	2022-23 के दौरान अंतरित राशि	2022-23 के दौरान अंतरित कुल राशि में से व्यय की गई राशि	31 मार्च 2023 तक शेष राशि
1	10	ऊर्जा	16,549.12	16,207.87	341.25
2	39	आपदा प्रबंधन	670.09	642.63	27.45
3	41	पथ निर्माण	947.01	219.49	727.52
4	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	55.31	43.30	12.01
कुल			18,221.53	17,113.29	1,108.23

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के संक्षिप्त विनियोग लेखे)

तालिका 3.8 से यह स्पष्ट है कि संचित निधि से लोक निधि में एक बड़ी राशि स्थानांतरित की गई, जिससे निधियों का संचय हुआ।

यह, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के अतिकथन एवं प्राप्तियों के आंकड़ों की न्यूनोक्ति को प्रदर्शित करता है।

3.3.2 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय, जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 20 अनुदानों के 22 मामलों में, ₹ 18,491.79 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अधिक साबित हुए और पूरी तरह से अनुपयोगित रहे, क्योंकि व्यय (₹ 83,802.17 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,03,251.69 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है। इसके अलावा, एक अनुदान '04-कैबिनेट सचिवालय' में, ₹ 241.51 करोड़ का कुल व्यय, ₹ 277.69 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों से भी कम था।

इसके अलावा, ऊपर वर्णित 22 मामलों में से सात मामलों में, जिनमें कुल ₹ 14,722.95 करोड़ शामिल थे, प्रत्येक मामले में अनुपूरक प्रावधान की राशि ₹ 1,000 करोड़ या अधिक थी। मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत होने के बावजूद अनुदान के लिए अनुपूरक बजट के आवंटन के परिणामस्वरूप अन्य विभागों के लिए धन की कमी की संभावना को दिखाता है।

3.3.3 अनावश्यक एवं अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण, है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

विस्तृत विनियोग लेखे 2022-23 की जांच से परिलक्षित हुआ कि:

- ✦ 15 अनुदानों के अंतर्गत 35 मामलों में ₹ 771.37 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ (पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं थी), क्योंकि अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) ₹ 2,175.63 करोड़ थी (**परिशिष्ट 3.2**)।
- ✦ पांच अनुदानों के अंतर्गत नौ मामलों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई ₹ 1,778.05 करोड़ की राशि, ₹ 909.60 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचत होने के कारण, अधिक (पुनर्विनियोजित राशि वास्तविक आवश्यकता से अधिक) साबित हुई (**परिशिष्ट 3.3**)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को दर्शाता है।

पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से बजट प्रावधानों में वृद्धि अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुए क्योंकि व्यय, मूल/कुल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

वर्ष 2022-23 के दौरान, 35 अनुदानों से संबंधित दत्तमत और भारित व्यय के अधीन, बचत के प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के 49 मामले थे, जिसकी कुल राशि ₹ 65,132.21 करोड़ थी (कुल प्रावधान ₹ 2,75,095.43 करोड़ का 23.68 प्रतिशत), जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में बताया गया है।

इसके अलावा, 32 अनुदानों में कुल बजट और व्यय के बीच 20 प्रतिशत या उससे अधिक का महत्वपूर्ण विचलन था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53,766.73 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 1,67,550.87 करोड़ का 32 प्रतिशत) की भारी बचत हुई (**परिशिष्ट 3.5**)। इन विचलनों के कारणों को विनियोग लेखे में समुचित रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

20 अनुदानों से संबंधित 21 मामलों में, विगत पांच वर्षों के दौरान ₹ 43,357.27 करोड़ और उससे अधिक (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ 200 करोड़ या अधिक की बचत) की सतत बचत हुई, जैसा

कि **परिशिष्ट 3.6** में बताया गया है। सतत् बचत से संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में व्यय की प्रवृत्तियों पर विचार किए बिना बजट प्रावधान किए गए थे।

विगत वर्षों की बचत के साथ, 2022-23 में अनुदान-वार, ₹ 2,000 करोड़ और अधिक की बचत **तालिका 3.9** में दिखाई गई है।

तालिका 3.9: वर्ष 2022-23 में ₹ 2,000 करोड़ से अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोजन के साथ विगत चार वर्षों में बचत प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


अनुदान-विभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
21-शिक्षा विभाग	10,081.81	12,140.67	11,784.91	12,877.72	13,796.59
20-स्वास्थ्य विभाग	2,359.27	3,582.55	4,056.45	6,085.46	8,543.32
16-पंचायती राज विभाग	1,837.67	4,891.60	4,675.44	5,367.03	4,910.47
37-ग्रामीण कार्य विभाग	7,553.55	8,518.95	6,439.24	4,841.88	4,463.00
48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2,064.28	3,250.51	3,952.81	4,640.19	4,394.35
42-ग्रामीण विकास विभाग	6,323.92	8,900.63	8,531.89	9,206.77	3,318.65
22-गृह विभाग	764.90	2,133.08	2,643.70	4,192.63	3,258.08
03-भवन निर्माण विभाग	1,211.20	4,205.01	3,830.73	2,522.82	2,880.66
15-पेंशन	662.21	1,414.68	796.52	1,527.51	2,324.24
51-समाज कल्याण विभाग	3,409.41	2,339.24	2,223.48	2,244.40	2,295.38
इन अनुदानों में कुल बचत	36,268.22	51,376.92	48,935.17	53,506.41	50,184.74
वर्ष के दौरान कुल बचत (सभी 51 अनुदान)	49,172.17	78,845.26	77,607.22	71,194.67	66,509.62
ऊपर वर्णित अनुदानों में प्रतिशत बचत	73.76	65.16	63.05	75.16	75.45

(स्रोत: संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

इसके अलावा, 12 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 20,104.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि **परिशिष्ट 3.7** में दिखाया गया है और तीन अनुदानों में, अभ्यर्पण की राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी।

चार्ट 3.3 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बचत के साथ-साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान/विनियोजन की संख्या को दर्शाता है।

चार्ट 3.3: बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या




(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

चार्ट 3.3 दर्शाता है कि 51 अनुदानों में से पांच अनुदानों में 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जबकि 16 अनुदानों में बचत की राशि 30–50 प्रतिशत की सीमा में थी, जो कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत, जो कि 22.05 प्रतिशत थी, से काफी अधिक है।

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय, जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नहीं हों अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नहीं हों, को पूरा करने के लिए बचत में से कोई राशि आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचत का अभ्यर्पण संबंधित वर्ष की 15 फरवरी तक कर देना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक समर्पित किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए विनियोग लेखे)

चार्ट 3.4 से यह स्पष्ट है कि, बिहार बजट संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 15 फरवरी के बाद ₹ 15,704.43 करोड़ (कुल अभ्यर्पण की गई राशि का 76.51 प्रतिशत) की शेष राशि का अभ्यर्पण किया गया।

3.3.5 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तियों को दिये गये भुगतान हैं जो सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के होते हैं। सहायता अनुदान किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता के प्रयोजनार्थ दिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। आई0जी0ए0एस0–2 के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर, जहां भारत के नि0म0ले0प0 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी ग्रान्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान को सहायता अनुदान की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना है।

वित्त लेखे 2022–23 (खण्ड I) की विवरणी–X के अनुसार, 2022–23 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल धनराशि ₹ 79,940.88 करोड़ थी, जिसमें से पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि ₹ 20,019.34 करोड़ (25.04 प्रतिशत) थी, जैसा कि **तालिका 3.10** में वर्णित है।

तालिका 3.10: पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल सहायता अनुदान	प्रतिशत वृद्धि	पूँजीगत निर्माण के लिए सहायता अनुदान	पूँजीगत निर्माण के लिए उपयोग किए गए सहायता अनुदान का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
2018-19	51,764.29	19.39	14,023.84	27.09	232.14
2019-20	46,581.54	(-)10.01	5,569.37	11.96	(-)60.29
2020-21	54,928.98	17.92	27,340.81	49.77	390.91
2021-22	65,015.01	18.36	6,177.94	9.50	(-)77.40
2022-23	79,940.88	22.96	20,019.34	25.04	224.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

विभागों में बजटीय और लेखांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, सरकार को बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रत्येक प्रदर्शन संकेतक के लिए वार्षिक उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि विभाग प्रत्येक संकेतक के लिए निर्धारित वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 3.11 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.11: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2023 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2023 में अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 8/कॉलम 6×100)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
दत्तमत	I- राजस्व	1,74,028.69	46,958.93	2,20,987.62	1,70,439.38	50,548.24	15,307.73	13,418.29	26.55
	II- पूँजी	29,749.64	16,224.91	45,974.55	31,541.69	14,432.86	5,218.43	2,281.10	15.80
	III- ऋण और अग्रिम	1,314.85	776.81	2,091.66	2,056.76	34.90	0.01	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	2,05,093.18	63,960.65	2,69,053.83	2,04,037.83	65,015.00	20,526.17	15,699.39	24.15
भारित	IV- राजस्व	17,928.00	34.60	17,962.60	16,787.93	1,174.67	0.54	0.00	0.00
	V- पूँजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	VI- लोक ऋण अदायगी	14,670.03	0.00	14,670.03	14,351.08	318.95	0.00	0.00	0.00
	कुल भारित	32,598.03	34.60	32,632.63	31,139.01	1,493.62	0.54	0.00	0.00
कुल योग	2,37,691.21	63,995.25	3,01,686.46	2,35,176.84	66,509.62	20,526.71	15,699.39	23.60	

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे)

टिप्पणी: व्यय में ₹3,251.09 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली /वापसी शामिल है और ₹21.87 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया गया है।


तालिका 3.11 से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 3,01,686.46 करोड़ के कुल प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 2,35,176.84 करोड़ (77.95 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,37,691.21 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था।

राजस्व खंड के 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 51,722.91 करोड़ की बचत तथा पूंजीगत खंड के ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों एवं लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 35 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 14,786.71 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 66,509.62 करोड़ की समग्र बचत हुई।

वर्ष के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत में से केवल 30.86 प्रतिशत राशि (₹ 20,526.71 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45,982.91 करोड़ के बचत (कुल बचत का 69.14 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हो पाया। कुल बचत, अनुपूरक प्रावधान का 103.93 प्रतिशत था। बजट में समग्र प्रावधानों के सापेक्ष कुल बचत के प्रतिशत की प्रवृत्ति चार्ट 3.5 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.5: 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान, कुल बजट के सापेक्ष कुल बचत 22.05 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक थी। यह गलत अनुमान तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की अक्षमता को इंगित करता है।

इसके अलावा, 26 अनुदानों/विनियोगों के तहत 185 योजना लेखा शीर्षों में ₹ 4,640.34 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के मामले भी थे। इन मामलों में से, 12 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 32 मामलों में, ₹ 4,053.49 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और अधिक) के कुल बजट प्रावधान अनुपयोगित रहे जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति को तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित/संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	मूल बजट	1,76,990.27	2,00,501.01	2,11,761.50	2,18,302.70	2,37,691.21
2	अनुपूरक बजट	32,499.56	27,986.17	33,761.12	47,094.17	63,995.25
3	कुल बजट (1+2)	2,09,489.83	2,28,487.18	2,45,522.62	2,65,396.87	3,01,686.46
4	पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0)	1,92,620.88	2,18,729.55	2,29,716.91	2,58,632.52	2,89,734.83
5	वास्तविक व्यय	1,60,317.66	1,49,641.92	1,67,915.40	1,94,202.20	2,35,176.84
6	बचत (3-5)	49,172.17	78,845.26	77,607.22	71,194.67	66,509.62
7	मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक प्रावधान का प्रतिशत	18.36	13.96	15.94	21.57	26.92
8	समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत/अधिकार का प्रतिशत	23.47	34.51	31.61	26.83	22.05
9	कुल बजट - पुन0अ0	16,868.95	9,757.63	15,805.71	6,764.35	11,951.63
10	पुन0अ0 - वास्तविक व्यय	32,303.22	69,087.63	61,801.51	64,430.32	54,557.99
11	(कुल बजट - पुन0अ0) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	8.05	4.27	6.44	2.55	3.96
12	(पुन0अ0-वास्तविक व्यय) कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	15.42	30.24	25.17	24.28	18.08

(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)

तालिका 3.12 से स्पष्ट है कि 2022-23 के दौरान ₹ 63,995.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, विगत वर्ष के 21.57 प्रतिशत के सापेक्ष मूल प्रावधान का 26.92 प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से कम अनुमानित किया गया था, लेकिन अनुपूरक प्रावधानों से बजट प्रावधान 13.96 प्रतिशत से 26.92 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वास्तविक व्यय भी मूल बजट की तुलना में काफी कम था। बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 3.6 में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे)

तालिका 3.12 तथा चार्ट 3.6 अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन को दर्शाते हैं, क्योंकि राज्य के बजट अनुमानों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया था और वास्तविक व्यय मूल बजटीय प्रावधानों से कम था।

3.4.2 बजट से भिन्नता के संबंध में अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

बिहार राज्य के लिए विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए, जैसा कि नीचे तालिका 3.13 में वर्णित है।

तालिका 3.13 विनियोग लेखे पर टिप्पणियों के लिए मानदंड


क्रम. सं.	अनुदानवार बजट प्रावधान	बचत(-) / आधिक्य (+)	उप-शीर्षवार मानदंड
1	2	3	4
1	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख	उप-शीर्ष स्तर पर प्रत्येक मामले में कॉलम संख्या
2	₹ 5.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख	3 में दर्शाई गई राशि या
3	₹ 50.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख	उप-शीर्षवार प्रावधान का 10
4	₹ 100.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख	प्रतिशत, जो भी अधिक हो
5	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख	

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में, व्यय में भिन्नता के कारण/स्पष्टीकरण की मांग करते हुए, विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखे उपलब्ध कराया था।

हालाँकि, नियंत्री अधिकारियों ने कुल मामलों में से केवल 10.96 प्रतिशत में बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दिया। सभी 51 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 1523 मामलों के संबंध में भिन्नता के कारण मांगे गए थे। तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा 25 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत केवल 167 मामलों में भिन्नता के कारण प्रस्तुत किए गए थे।

विनियोग लेखे में भिन्नता के मामले में स्पष्टीकरण की आवश्यकता एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की स्थिति चार्ट 3.7 में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.7 विनियोग लेखे में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे)

विनियोग लेखे में शामिल 1523 उप-शीर्षों में 50 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 45,923.32 करोड़ की बचत और 23 अनुदानों/विनियोगों में ₹1,498.09 करोड़ के अधिकाई व्यय थे। इनमें से, केवल ₹ 2,453.79 करोड़ की बचत के 99 उप-शीर्षों एवं ₹ 1,278.36 करोड़ की अधिकाई व्यय के 68 उप-शीर्षों में भिन्नताएँ स्पष्ट की गई थी एवं 1356 उप-शीर्षों में, ₹ 43,469.53 करोड़ (94.66 प्रतिशत) की बचत और ₹ 219.73 करोड़ (14.67 प्रतिशत) के अधिकाई व्यय की भिन्नताएँ, राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण, अस्पष्ट रह गई।

बजटीय आवंटन और उनके उपयोग की सीमा के बीच भिन्नता के स्पष्टीकरण के अभाव में, सरकार की वित्तीय जवाबदेही एवं बजट पर विधायी नियंत्रण को सक्षम करने के लिए विनियोग लेखे की सूचनात्मक उपयोगिता निरर्थक रही।

3.4.3 उप-शीर्ष स्तर पर अस्पष्टीकृत भिन्नताएँ

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, विनियोग लेखे में भिन्नताओं पर टिप्पणियों के लिए शीर्षों का चयन करते समय राज्य लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा और/या प्रतिशत, यदि कोई हो, का पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए विनियोग लेखे के मामले में, सीमाएँ केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित की गई थीं।

बजट की वर्तमान स्थिति और आकार के अनुसार भिन्नता प्रतिवेदन मानदंड को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भिन्नता प्रतिवेदन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव इस आधार पर किया गया था कि वर्तमान सीमाएं वर्ष 1993-94 से प्रभावी थीं, तब से, केंद्रीय बजट का आकार 28 गुना बढ़ गया है, जिससे विनियोग लेखे में टिप्पणी/स्पष्टीकरण के लिए मात्रात्मक स्तर या ऊपरी सीमा में संशोधन की आवश्यकता है। केंद्रीय लोक लेखा समिति (17 वीं लोकसभा, 2019-20) ने दिसंबर 2019 के अपने प्रथम प्रतिवेदन, जिसका शीर्षक 'विनियोग लेखे में अपवादों को प्रतिवेदित करने की सीमा का संशोधन' था, में विनियोग लेखे में उप-शीर्ष स्तर की टिप्पणियों के लिए अधिसीमा की समीक्षा की गई थी एवं अधिसीमा में उर्ध्वगामी वृद्धि की गई थी।

उप-शीर्ष स्तर पर भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए संशोधित और पूर्ववर्ती सीमाएँ तालिका 3.14 में वर्णित हैं।

तालिका 3.14: उप-शीर्ष स्तर पर भिन्नताओं की व्याख्या के लिए केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड

संशोधन पूर्व मानदंड (1993-94 से)	संशोधित मानदंड (2018-19 से)
₹ 100 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया जाए	₹ 500 लाख से अधिक की भिन्नता (आधिक्य या बचत) के बारे में बताया जाए
सभी मामले, जहाँ भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 50 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, की व्याख्या की जाए	सभी मामले जहाँ भिन्नता (आधिक्य या बचत) स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 250 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, की व्याख्या की जाए
यदि कोई अनुपूरक प्रावधान है, तो ऐसे सभी मामले जहाँ बचत, अनुपूरक प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 5 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, स्पष्ट करें	यदि कोई अनुपूरक प्रावधान है, तो ऐसे सभी मामले जहाँ बचत, अनुपूरक प्रावधान के 10 प्रतिशत या ₹ 100 लाख से अधिक, जो भी अधिक हो, स्पष्ट करें
जब अनुदान समग्र रूप से पार हो जाए, तो ₹ 1 लाख से अधिक वाले उप-शीर्षों का चयन किया जाए	जब अनुदान समग्र रूप से पार हो जाए, तो ₹ 25 लाख से अधिक वाले उप-शीर्षों का चयन किया जाए

जैसा कि देखा जा सकता है, केंद्रीय लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित मानदंड उन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का आच्छादन करते हैं जिनमें भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, बिहार राज्य ने लगभग 20 वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हीं मानदंडों को जारी रखा है, तथापि यह ज्ञात नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए ये मानदंड कब निर्धारित किए गए थे। विगत वर्षों के दौरान, राज्य के बजट का आकार और मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है, जैसा कि तालिका 3.15 में बताया गया है।

तालिका 3.15: राज्य के बजट आकार और व्यय का कालावधि विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट का आकार	व्यय	2005-06 के सापेक्ष बजट का आकार में वृद्धि (प्रतिशत में)
2005-06	28,976.40	22,568.47	
2020-21	2,45,522.59	1,67,915.40	847.32
2021-22	2,65,396.87	1,94,202.20	915.91
2022-23	3,01,686.46	2,35,176.84	1,041.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

तालिका 3.15 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान में वर्ष 2005-06 (₹ 28,976.40 करोड़) के बजट प्रावधान की तुलना में 10.41 गुना की वृद्धि हुई है। कुछ बड़े अनुदानों के उदाहरण तालिका 3.16 में दिए गए हैं।

तालिका 3.16: बजट आकार के संदर्भ में कुछ सबसे बड़े अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बजट प्रावधान
1	21	शिक्षा	55,892.37
2	15	पेंशन	25,467.93
3	42	ग्रामीण विकास	21,731.56
4	20	स्वास्थ्य	20,557.27
5	10	ऊर्जा	16,549.12

(स्रोत: वित्त वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे)

इस प्रकार, वर्तमान मानदंड, विनियोग लेखे के सामयिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। यद्यपि, केन्द्रीय लोक लेखा समिति ने बजट प्रावधानों से विचलन के प्रतिशत को ध्यान में रखे बिना भिन्नता (आधिक्य अथवा बचत) को स्पष्ट करने के लिए ₹ 5.00 करोड़ की सीमा निर्धारित की थी, बिहार में इस प्रकार का कोई मानदण्ड नहीं है।

3.4.4 बजट से अनुदान स्तर पर वृहद् भिन्नताएं

लोक लेखा समिति (10 वीं लोकसभा, 1990-91) ने अपनी 60 वीं प्रतिवेदन की कंडिका 1.22 और 1.24 में उल्लेख किया है कि एक अनुदान या विनियोग में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत दोषपूर्ण बजट बनाए जाने के साथ-साथ निष्पादन में कमी का भी संकेतक है। इसलिए, लोक लेखा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत के संबंध में एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी, समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

जहां तक अनुदान स्तर पर बड़ी बचतों/भिन्नताओं के स्पष्टीकरण का संबंध है, वर्तमान में राज्य लोक लेखा समिति द्वारा ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। यदि केंद्र के लिए लागू ₹ 100 करोड़ की सीमा पर भी विचार किया जाए, तो 51 अनुदानों/विनियोगों में से 30 के अंतर्गत 159 उपशीर्षों में स्पष्टीकरण आवश्यक होगा। विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बजट के निरंतर/सतत कम उपयोग का वर्णन कंडिका 3.4.1, चार्ट 3.5 एवं 3.6 में किया गया है।

3.4.5 योजनाओं की उद्घोषणा और उनके सापेक्ष बजटीय सहायता का प्रावधान न होना

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सामाजिक कल्याण और अन्य योजनाओं के संबंध में कई प्रमुख नीतिगत घोषणाएं की गई थी।

लेखापरीक्षा में ऐसे कई मामले देखे गए जहां बजट अनुमान ₹ 10 करोड़ से अधिक था लेकिन वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि तालिका 3.17 में बताया गया है।

तालिका 3.17: योजनाएँ जिनके लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उन पर व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	योजना	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	226.66	91.58
2		परंपरागत कृषि विकास योजना	91.35	-
3		बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	28.78	-
4	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	40.00	-
5	अल्पसंख्यक कल्याण	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना और राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की शेयर पूँजी	100.00	100.00
6		राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00	-
7	गन्ना उद्योग	चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन	60.00	60.00
		कुल	576.79	251.58

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त आंकड़े)

संबंधित विभागों द्वारा बजट अनुमानों में संशोधन के कारणों की सूचना नहीं दी गई। योजनाओं के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान न करने से लाभार्थी ऐसी योजनाओं के उद्दिष्ट लाभ से वंचित हो जाते हैं।


3.4.6 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता (बीबीएम), 2016 का नियम 125 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाए। बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एक समान प्रवाह आवश्यक है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, नौ विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 17,396.36 करोड़ (58.86 प्रतिशत) का व्यय किया गया और केवल मार्च 2023 के महीने में, कुल व्यय ₹ 29,553.80 करोड़ (परिशिष्ट 3.9 में विस्तृत) में से ₹ 10,424.10 करोड़ (35.27 प्रतिशत) का व्यय किया गया। 19 अनुदानों की 48 योजना उप-शीर्षों के तहत ₹ 7,695.44 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का शत-प्रतिशत व्यय मार्च 2023 के महीने में किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में बताया गया है।

इसके अलावा, समग्र विनियोग के लिए, मार्च 2023 में व्यय, कुल व्यय का 17.70 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2023 में प्राप्तियाँ, वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों का 34.68 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं व्यय की माहवार स्थिति **चार्ट 3.8** में प्रदर्शित है।


चार्ट 3.8: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय (₹ करोड़ में)



(स्रोत: मासिक व्यय प्रतिवेदन और मासिक सिविल लेखे 2022-23)

परिशिष्ट 3.9 आगे दर्शाता है कि, मार्च 2023 के दौरान, प्रतिशत-वार (78.13 प्रतिशत) उच्चतम व्यय (₹ 1,081.67 करोड़), अनुदान संख्या 18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर अनुदान संख्या 48 (नगर विकास एवं आवास विभाग) के अन्तर्गत ₹ 1,505.40 करोड़ का अधिकतम व्यय हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग का कुल बजटीय प्रावधान ₹ 10,940.41 करोड़ (मूल: ₹ 8,175.94 करोड़ और अनुपूरक: ₹ 2,764.47 करोड़-मार्च 2023) था और वर्ष के दौरान विभाग का कुल वास्तविक व्यय ₹ 6,546.06 करोड़ था। माहवार व्यय चार्ट 3.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: मार्च 2023 में अधिकतम व्यय के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग का माहवार व्यय



(स्रोत: मासिक व्यय प्रतिवेदन 2022-23)

वर्ष के अंतिम भाग/महीने में विभागों द्वारा किया गया वृहत् व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और अप्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय, व्यय निगरानी पर अपर्याप्त नियंत्रण का संकेतक है।

3.4.7 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी आधार पर आकस्मिकता निधि के कोष को ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 9,500.00 करोड़ कर दिया था। कोष में यह वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा एवं भूकंप और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा पूरा करने के लिए, जिसके लिए तदनुसूची राज्यांश का पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं था, किया गया था। कुल राशि (₹ 9,150.00 करोड़, जो बढ़ाई गई थी) के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जाना था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹ 6,395.47 करोड़ के 116 आहरण किया था, जिनमें से प्रमुख 15 आहरण, जिसकी राशि ₹ 3,327.42 करोड़ (52 प्रतिशत) थी, व्यय की प्रत्याशित प्रकृति के लिए किये गये थे (परिशिष्ट 3.11)।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2245 (प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत) के तहत व्यय, आकस्मिकता निधि से प्राप्त धन का 12.98 प्रतिशत से 66.07 प्रतिशत तक था, जैसा कि तालिका 3.18 में दिखाया गया है।

तालिका 3.18: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय में प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये व्यय का प्रतिशत
1	2018- 19	4,353.49	1,725.00	39.62
2	2019- 20	3,529.76	2,332.00	66.07
3	2020- 21	5,825.42	2,925.53	50.22
4	2021-22	3,981.79	1,125.00	28.25
5	2022-23	6,395.47	830.00	12.98

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार)

आकस्मिकता निधि के कुल व्यय ₹ 6,395.47 करोड़ में से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय केवल 12.98 प्रतिशत था, जो विगत पांच वर्षों में सबसे कम है। हालाँकि आकस्मिकता निधि का कोष बजट आकार के अनुपात में लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, राशि और प्रतिशत, दोनों ही दृष्टि से लगातार कम हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं पर कम व्यय ने आकस्मिकता निधि के लक्षित उद्देश्य को समाप्त कर दिया है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या-01 'कृषि विभाग' एवं अनुदान संख्या-36 'लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान

अनुदान और अनुपूरक मांगों की बचत/आधिक्य और परिमाण के आधार पर की गई। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.5.1 अनुदान संख्या-01 "कृषि विभाग"

कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 77 प्रतिशत कार्यबल के उपयोग से राज्य घरेलू उत्पाद (2022-23 (त्वरित)) का लगभग 24.84 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। कृषि, बिहार में निजी क्षेत्र का एकल सबसे बड़ा व्यवसाय है।

कृषि विभाग, इसके प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, अपने तीन निदेशालयों, कृषि निदेशालय, मृदा संरक्षण निदेशालय और बागवानी निदेशालय के साथ 2² निगमों, 2³ एजेंसियों तथा 2⁴ कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्य करता है और प्रमंडल/कमिश्नरी स्तर पर मंडल संयुक्त निदेशक (डीजेडी), प्रधान सचिव को रिपोर्ट करते हैं, जबकि जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, डीजेडी को रिपोर्ट करते हैं।

अनुदान के तहत आठ प्रमुख शीर्षों, अर्थात् 2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजी परिव्यय और 6401- फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज, संचालित हैं।

3.5.1.1 बजट और व्यय

विगत चार वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2022-23) के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और अनुदान में बचत की समग्र स्थिति तालिका 3.19 में दी गई है।

तालिका 3.19: 2019-23 की अवधि के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	अनुपयोगित प्रावधान (प्रतिशत)	
2019-20	राजस्व-मूल (दत्तमत)	2,938.77	3,471.93	2,152.49	1,319.44 (38)	
	अनुपूरक	533.16				
	पूँजीगत-मूल (दत्तमत)	20.00	146.91		0.00	146.91 (100)
	अनुपूरक	126.91				
2020-21	राजस्व-मूल (दत्तमत)	3,102.81	3,324.47	1,498.54		1,825.93 (54.92)
	अनुपूरक	221.66				
	पूँजीगत-मूल (दत्तमत)	50.00	110.55		0.00	110.55 (100)
	अनुपूरक	60.55				
2021-22	राजस्व-मूल (दत्तमत)	3,235.47	3,802.72	1,698.00		2,104.72 (55.35)
	अनुपूरक	567.25				
	पूँजीगत-मूल (दत्तमत)	100.00	273.66		229.93	43.73 (15.98)
	अनुपूरक	173.66				
2022-23	राजस्व-मूल (दत्तमत)	3,054.31	3,758.30	2,073.73		1,684.57 (44.82)
	अनुपूरक	703.98				
	पूँजीगत-मूल (दत्तमत)	530.00	621.33		497.71	123.62 (19.90)
	अनुपूरक	91.33				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

² बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड और बिहार खाद्य और सब्जी विकास निगम।

³ बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी और बिहार कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)।

⁴ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर)।

तालिका 3.19 से यह स्पष्ट है कि राजस्व (दत्तमत) और पूँजीगत (दत्तमत) खंड के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान क्रमशः 15.98 से शत-प्रतिशत और 38 से 55.35 प्रतिशत की सीमा में थे।

3.5.1.2 बचत का अभ्यर्पण नहीं

पाया गया कि विभाग ने 2019-20 से 2022-23 के दौरान हुई बचत के 70.09 प्रतिशत से 87.92 प्रतिशत का अभ्यर्पण नहीं किया, जैसा कि तालिका 3.20 में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: बचत का अभ्यर्पण नहीं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व (दत्तमत)			पूँजीगत (दत्तमत)			अभ्यर्पण का कुल प्रतिशत
	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	
2019-20	1,319.44	423.06	67.94	146.91	0	100	71.15
2020-21	1,825.93	234.01	87.18	110.55	0	100	87.92
2021-22	2,104.72	623.58	70.37	43.73	19.07	56.39	70.09
2022-23	1,684.57	497.73	70.45	123.61	30.00	75.73	70.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

निरंतर बड़ी बचत और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण विभाग के अक्षम बजटीय और वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5.1.3 निरंतर बचत

पाया गया कि 2020-21 से 2022-23 के दौरान पांच लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का एक बड़ा भाग (₹ 50 करोड़ से अधिक) अनुपयोगित रह गया था, जैसा कि तालिका 3.21 में दिखाया गया है।

तालिका 3.21: ₹ 50 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
		राशि (प्रतिशत)		
1	2401000010011	173.27 (39.72)	178.66 (38.04)	183.98 (36.89)
2	2401001090103	149.47 (90.04)	78.85 (86.36)	99.60 (50.01)
3	2401001090106	69.93 (33.70)	110.44 (42.75)	66.30 (28.89)
4	2401001090216	107.69 (74.14)	148.73 (72.84)	131.03 (98.67)
5	2401001090316	59.78 (70.21)	51.85 (58.73)	53.96 (97.53)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

वर्षों से हो रहे निरंतर बचत इन योजनाओं के अंतर्गत अनुचित आकलन या संबंधित वर्षों में प्रक्षेपित वित्तीय परिव्यय के प्राप्त नहीं होने को इंगित करता है।

3.5.1.4 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

यह पाया गया कि 2022-23 के दौरान सात योजनाओं (छह केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और एक राज्य योजना) के तहत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे थे।

तालिका 3.22: 2022-23 के दौरान समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	कुल बजट	व्यय
	केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)		
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) (तिलहन)	9.11	-
2	परंपरागत कृषि विकास योजना	91.35	-
3	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	3.33	-
4	बीज और रोपण सामग्री पर उपयोजना	28.78	-
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	226.66	-
6	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना	12.15	-
	कुल योग	371.38	-
	राज्य योजना		
7	फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी	21.50	-
	कुल योग	21.50	-
	महायोग	392.88	-

(स्रोत: कृषि विभाग, बिहार सरकार)

यह भी पाया गया कि एक केन्द्र प्रायोजित योजना यानी प्रधानमंत्री माइक्रो फंड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम (पीएम एफएमई) के तहत, ₹ 330.60 करोड़ (2021-22 के दौरान ₹ 213.03 करोड़ और 2022-23 के दौरान ₹ 117.57 करोड़) का सम्पूर्ण बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रह गया था, जो कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में लगे समूहों, जैसे किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सहित, सहायता देने के लिए योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

संपूर्ण बजटीय प्रावधानों की बचत अवास्तविक बजट योजना का संकेतक है।

3.5.1.5 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2022-23 के बजट अभिलेख और विनियोग लेखे की जांच में पाया गया कि:

- ✦ 55 योजना मदों के अंतर्गत, ₹ 1,486.40 करोड़ के मूल बजट प्रावधानों में, विभाग केवल ₹ 876.31 करोड़ (58.95 प्रतिशत) ही व्यय कर सका। इन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 270.42 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- ✦ 19 योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 8.93 करोड़ के मूल प्रावधानों में, जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था, ₹ 27.22 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था। इन 19 योजना मदों में से, जिनके लिये ₹ 20.28 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया, छः में कोई भी मूल प्रावधान नहीं था, साथ ही इन मदों में कोई व्यय भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, क्योंकि विभाग मूल बजट का भी उपयोग करने में विफल रहा था, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।

अनुपूरक प्रावधानों के अविवेकपूर्ण आवंटन ने अक्षम और कमजोर बजटीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को दर्शाया।

3.5.1.6 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यह देखा गया कि पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों का संवर्धन भी अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया, जैसा कि तालिका 3.23 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.23: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
1	2401001090106	182.60	9.50	163.26
2	2401007890106	35.20	1.83	28.54
3	2401007960134	2.20	0.11	0.85
4	2415010040107	12.53	1.11	7.14
5	2415017890107	2.42	0.21	1.16
6	2401000010011	494.05	0.71	314.79
7	3451000900007	8.82	0.40	5.46
कुल		737.82	13.87	521.20

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे)

3.5.2 अनुदान संख्या-36 'लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग'

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सुरक्षित, सुलभ और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है एवं कम से कम एक नल संयोजन के साथ सभी परिवारों को आच्छादित करके वंचित आबादी तक पेयजल पहुंचाना है, साथ ही मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के तहत अच्छादित सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति का प्रावधान भी है।

नल संयोजन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के लिए, एकल ग्राम पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (एसवीएस), पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (पीडब्ल्यूएस), वार्डवार पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (डब्ल्यूएलएस) और बहु-ग्राम पाइप जल आपूर्ति योजनाएं (एमवीएस), पूरे राज्य में लागू की जा रही हैं। अनुदान के तहत सात मुख्य शीर्षों का संचालन किया जा रहा था, जैसा कि तालिका 3.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: अनुदान संख्या 36 के अंतर्गत संचालित मुख्य शीर्ष और विवरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण
1	2059	लोक निर्माण कार्य
2	2215	जलापूर्ति तथा सफाई
3	2216	आवास
4	2251	सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ
5	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
6	4215	जलापूर्ति और सफाई पर पूँजीगत परिव्यय
7	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विस्तृत विनियोग लेखे)

3.5.2.1 बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2020-21 से 2022-23 तक के बजट प्रावधानों, व्यय और बचत का विवरण तालिका 3.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.25: 2020-21 से 2022-23 के दौरान बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल बजट	व्यय (प्रतिशत)	अनुपयोगित प्रावधान और उसका प्रतिशत
2020-21	राजस्व –मूल (दत्तमत)	606.45	1,074.48	626.92	447.56
	अनुपूरक	468.03		(58.35)	(41.65)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	5,250.00	5,850.00	4,751.32	1,098.68
	अनुपूरक	600.00		(81.22)	(18.78)
2021-22	राजस्व –मूल (दत्तमत)	539.16	919.16	685.64	233.52
	अनुपूरक	380.00		(74.59)	(25.40)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	2,431.10	2,931.10	1,976.17	954.93
	अनुपूरक	500.00		(67.42)	(32.58)
2022-23	राजस्व –मूल (दत्तमत)	920.33	1,020.33	829.84	190.49
	अनुपूरक	100.00		(81.33)	(18.67)
	पूँजीगत –मूल (दत्तमत)	1,460.05	1,460.05	1,313.11	146.94
	अनुपूरक	0.00		(89.94)	(10.06)
महायोग			13,255.12	10,183.00	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में आंकड़े कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

तालिका 3.25 से यह स्पष्ट है कि पूँजीगत (दत्तमत) और राजस्व (दत्तमत) खण्ड के तहत अनुपयोगित बजट प्रावधान क्रमशः 10.06 प्रतिशत से 32.58 प्रतिशत और 18.67 प्रतिशत से 41.65 प्रतिशत के बीच थे।

3.5.2.2 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना तैयार किए गए बजट अनुमान

बिहार बजट संहिता (बीबीएम), 2016 के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की जांच करनी चाहिए, यह देखने के लिए कि वे सही हैं, कि सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, और यदि अपर्याप्त हैं, तो प्रावधान को बदल दिया जाना चाहिए। तथापि, विभाग ने संवितरण अधिकारियों से आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना विभाग स्तर पर बजट अनुमान (राज्य, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं) तैयार किए थे। परिणामस्वरूप, विभाग के व्यय और बजट प्रावधानों के बीच भारी अंतर देखा गया, जिससे बड़ी बचत हुई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.5.2.3 बचत का अभ्यर्पण नहीं

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान अनुपयोगित निधि/बचत का विवरण, 2021-22 को छोड़कर (केवल 31.97 प्रतिशत का अभ्यर्पण), तालिका 3.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: बचत का अनभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व (दत्तमत)			पूँजीगत (दत्तमत)			कुल
	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का प्रतिशत	
2020-21	447.56	-	-	1,098.68	-	-	-
2021-22	233.52	-	-	954.93	380.00	39.79	31.97
2022-23	190.49	-	-	146.94	-	-	-

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

निरंतर बढ़ी बचतें और तुलनात्मक रूप से कम अभ्यर्पण विभाग की ओर से अक्षम बजटीय और वित्तीय प्रशासन का संकेत देते हैं।

3.5.2.4 निरंतर बचत

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाले 17 लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगित रह गया था। 2020–21 से 2022–23 के दौरान चार-चार लेखाशीर्षों में प्रतिशत-वार और राशि-वार लगातार बचत, तालिका 3.27 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.27: निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
राशि-वार				
1	4215-01-102-0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	231.59 (46.50)	331.97 (99.99)	237.55 (71.55)
2	4215-01-789-0114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	95.66 (17.35)	60.06 (19.86)	29.78 (15.33)
3	2215-01-101-0004 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	24.28 (17.50)	27.09 (39.50)	26.32 (38.03)
4	2215-01-102-0001 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	52.58 (17.24)	56.22 (27.24)	20.19 (11.01)
प्रतिशत-वार				
1	4059-01-051-0128 सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	9.94 (99.40)	5.00 (100.00)	14.86 (100.00)
2	4216-01-051-0103 सरकारी आवासीय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	5.00 (100.00)	1.79 (89.50)	10.00 (100.00)
3	4215-01-102-0134- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण –सात निश्चय –2 ⁵	--	10.00 (100.00)	5.00 (100.00)
4	2215-02-003-0102- प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल) के संचालन के लिए अनुदान	1.00 (100.00)	0.53 (53.00)	0.50 (100.00)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बजट प्रावधानों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

यह अवास्तविक बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार किए जाने का संकेतक है। बचत के सामयिक अभ्यर्पण से वित्त विभाग को अनुपूरक बजट की मांग किए बिना उन अन्य योजनाओं के लिए राशि को पुनर्विनियोजित करने में मदद मिलती, जहां अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता थी।

3.5.2.5 समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

वर्ष 2022–23 के दौरान, पांच लेखा शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान अनुपयोगित रहे, जैसा कि तालिका 3.28 में दिखाया गया है।

⁵ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान बजटीय आवंटन नहीं किया गया था।

तालिका 3.28: समग्र प्रावधान का अनुपयोगित रह जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष- योजना का नाम	2022-23 में बजट प्रावधान
1	4215-01-102-0134- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण -सात निश्चय -2	5.00
2	4059-01-051-0128 सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	14.86
3	4215-01-789-0212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	64.00
4	4216-01-051-0103 सरकारी आवासीय भवन का निर्माण (राज्य योजना)	10.00
5	2215-02-003-0102- प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल) के संचालन के लिए अनुदान	0.50

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे)

3.5.2.6 मार्च 2023 में सघन व्यय

विभाग द्वारा संचालित 14 योजनाओं/कार्यक्रमों में से आठ में, मार्च 2023 में, 11.36 प्रतिशत से 58.18 प्रतिशत तक व्यय किया गया, जैसा कि तालिका 3.29 में दिखाया गया है।

तालिका 3.29: अनुदान संख्या 36 के तहत व्यय का अनियमित/असंगत प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया कुल व्यय	मार्च 2023 में किया गया व्यय	
			राशि	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित)	693.84	117.87	16.99
2	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित-डब्ल्यूआईएमसी)	48.63	28.29	58.18
3	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित)	40.55	8.43	20.78
4	पानी की गुणवत्ता निगरानी का कार्य	0.85	0.41	48.23
5	ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना	0.28	0.13	46.42
6	नए नलकूप/स्वच्छता कूपों का निर्माण	22.86	5.30	23.18
7	शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं का सुदृढीकरण	0.44	0.05	11.36
8	ग्रामीण जलपूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव	525.77	129.48	24.63

(स्रोत: लो0स्वा0अ0वि0, बिहार सरकार के अभिलेखों के अनुसार)

यह इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह बनाए नहीं रखा गया था, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी।

3.5.2.7 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2022-23 के दौरान एक लेखा शीर्ष यानी 2215-01-102-0107 में ₹ 100 करोड़ (राजस्व-दत्तमत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि ₹ 415.53 करोड़ का व्यय मूल प्रावधानों ₹ 445.00 करोड़ के स्तर तक भी नहीं था।

3.5.2.8 निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

वर्ष 2022-23 के दौरान, तीन योजनाओं/उप-शीर्षों (तालिका 3.30) के तहत पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुए। इन तीन योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 1.07 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी।

तालिका 3.30: निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
1	2215-01-102-0001 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	183.13	0.32	163.26	20.19
2	2215-01-102-0002 हैंड ट्यूबवेल, तालाब, कुएं और उच्च प्रवाह नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	164.88	0.32	148.39	16.82
3	2251-00-090-0016 सचिवालय-सामाजिक सेवा-(लो0स्वा0अभि0वि0)	1.64	0.43	1.72	0.34
कुल		349.65	1.07	313.37	37.35

(स्रोत: 2022-23 के विनियोग लेखे)

3.5.2.9 विभागीय व्यय का असमाशोधन/भिन्नता

बिहार बजट संहिता, 2016 का नियम 96 निर्धारित करता है कि नियंत्रक अधिकारी को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के लेखे के साथ मासिक/तिमाही आधार पर विभागीय लेखे के समाशोधन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि व्यय और प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचा जा सके।

चूंकि सी0एफ0एम0एस0 के तहत ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल सक्रिय नहीं था, इसलिए सी0एफ0एम0एस0 से बाहर अन्य मॉड्यूल की सुविधा द्वारा मिलान का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आंकड़ों को तदनुसार संशोधित नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में सी0एफ0एम0एस0 के आंकड़े और विनियोग लेखे के बीच व्यय की राशि में ₹ 4.20 करोड़ का अंतर देखा गया था।

कुछ महत्वपूर्ण मामलों को तालिका 3.31 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.31: विभागीय व्यय का असमाशोधन/भिन्न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	व्यय (सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार)
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	4215-01-102-0230	94.45	0.00
		4215-01-796-0217	2.50	0.00
2	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (नलकूप, कुएं और हैंडपंप) (राज्य योजना)	4215-01-102-0103	17.09	19.69
3	मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य योजना)	4215-01-789-0114	164.38	177.05
		4215-01-789-0115	21.90	5.30
		2215-01-102-0106	41.64	33.88
4	ग्रामीण जल प्रदाय योजना-सात निश्चय -2 का संचालन एवं अनुसंधान (राज्य योजना)	2215-01-102-0107	415.53	525.77
महायोग			757.49	761.69

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे और सी0एफ0एम0एस0)

3.6 विशिष्ट बजट की समीक्षा

महिलाएं, बच्चे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समाज के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक हैं एवं उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक वित्त पर अधिक ध्यान, पारदर्शिता और तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार ने 2022-23 के दौरान जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया।

3.6.1 जेंडर बजट की समीक्षा

3.6.1.1 बजट प्रावधान

भारत सरकार ने पहली बार बजट 2005-06 के साथ जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। बिहार सरकार ने 2008-09 में इस पद्धति को अपनाया। समाज कल्याण विभाग संबद्ध योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के लिए जेंडर बजट का विहंगावलोकन तालिका 3.32 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.32: मूल बजट प्रावधानों में जेंडर बजट के लिए आवंटित संसाधन (ब0अ0 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

व्यौरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
महिलाओं के लिए परिव्यय (ब0 अ0)	25,573.80	30,874.49	33,176.27	34,490.56	36,458.72
राज्य बजट का कुल आकार (ब0 अ0)	1,76,990.27	2,00,501.01	2,11,761.00	2,18,302.70	2,37,691.21
बिहार राज्य के बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा (प्रतिशत)	14.45	15.40	15.67	15.80	15.34
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए परिव्यय	4.84	5.31	5.85	5.30	4.85


(स्रोत: जेंडर बजट 2022-23, वित्त विभाग, बिहार सरकार)

वर्ष 2022-23 के दौरान, 20 विभागों के अंतर्गत 615 योजनाओं⁶ के लिए जेंडर बजट में ₹ 36,458.72 करोड़ (ब0अ0 के अनुसार) आवंटित किए गए थे। हालांकि, 11 विभागों के अंतर्गत केवल 84 योजनाएं (श्रेणी 'ए' योजनाएं), जो विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी, चल रही थीं। बजट में श्रेणी 'ए' (महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आवंटन) और श्रेणी 'बी' (महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत या अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम आवंटन) योजनाओं के तहत प्रस्तावित व्यय क्रमशः ₹ 12,619.65 करोड़ और ₹ 23,839.07 करोड़ (531 योजनाएँ) था। चार्ट 3.10, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान जीएसडीपी और कुल बजट (ब0अ0) के संबंध में जेंडर बजट के प्रतिशत पर प्रकाश डालता है।

⁶ बिल कोड की गणना के अनुसार, जैसा कि बजट, जेंडर बजट, या विस्तृत विनियोग खातों में उल्लिखित है।

चार्ट 3.10: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट

(₹ करोड़ में और प्रतिशत में)



(स्रोत: बजट और जेंडर बजट 2022-23; जीएसडीपी – एमओएसपीआई, भारत सरकार)

- ✦ वर्ष 2022-23 (ब0अ0) में कुल राज्य बजट के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट का हिस्सा 15.34 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत कम था।
- ✦ समग्र जेंडर बजट 2021-22 (ब0अ0) के ₹ 34,490.56 करोड़ से बढ़कर 2022-23 (ब0अ0) में ₹ 36,458.72 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर 5.71 प्रतिशत (श्रेणी 'ए' योजनाओं में 4.43 प्रतिशत और श्रेणी 'बी' योजनाओं में 6.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

हालांकि, महिलाओं के लिये लक्षित संसाधनों के संदर्भण और उन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रभावी, कुशल और जवाबदेह योजना तथा बजट प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया गया था।

3.6.1.2 वित्तीय उपलब्धियाँ

पूरे बजट चक्र में लैंगिक जवाबदेही, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली बजटीय नीतियों की योजना एवं रूपरेखा सहित, इन्हें लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन, पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की ट्रैकिंग, नीतियाँ अपेक्षित रूप में लागू की गई हैं, और नीतियों की उपयोगिता एवं प्रभावकारिता निगरानी तथा लिंग विभेद अथवा अन्यथा उनके प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है, के लिए प्रासंगिक है।

जेंडर बजट 2022-23 की वित्तीय उपलब्धियों का वर्णन तालिका 3.33 में किया गया है।

तालिका 3.33: जेंडर बजट का वित्तीय उपलब्धियाँ

(₹ करोड़ में)

योजना श्रेणी	समूह (व्यय प्रतिशत के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	मूल जेंडर बजट प्रावधान (ब0 अ0)	निवल बजट/व्यय के लिए उपलब्ध निधियाँ (वि0ले0 के अनुसार)	उपलब्ध निधियों के सापेक्ष व्यय
ए	शून्य	7	29.37	29.37	-
	01 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	16	537.15	1,018.36	353.66
	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	19	5,674.27	6,257.82	4,366.25
	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत	42	6,378.86	13,483.13	13,541.41
	कुल ए	84	12,619.65	20,788.68	18,261.32
बी	शून्य	127	619.97	1,981.36	-0.50
	01 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	96	1,656.05	5,593.84	956.72
	30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम	308	21,563.05	76,179.27	58,824.21
	कुल बी	531	23,839.07	83,754.47	59,780.43
महायोग		615	36,458.72	1,04,543.15	78,041.75

(स्रोत: विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट 2022-23)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य के विनियोग लेखे के अनुसार, ₹ 78,041.75 करोड़ (₹ 18,261.32 करोड़ श्रेणी 'ए' योजनाएं और ₹ 59,780.43 करोड़ श्रेणी 'बी' योजनाएं) के कुल व्यय में से 76.60 प्रतिशत व्यय, श्रेणी 'बी' की योजनाओं में किया गया था। चूंकि बजट में दी गई सूचना समग्र व्यय को प्रदर्शित करता है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से किया गया व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विगत पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट में समान रूप से पारंपरिक आवंटनों की सूचना दी और इसके दायरे एवं तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और सहकारिता विभाग जैसे कुछ विभाग, जो लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जेंडर बजट में भाग नहीं ले रहे थे। हालांकि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को हर वर्ष जेंडर बजट में शामिल किया गया था, परंतु इसने महिलाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रावधान नहीं दर्शाया था।

3.6.1.3 जेंडर बजट बनाम विनियोग लेखे

जेंडर बजट की तुलना विनियोग लेखे से की गई और यह पाया गया कि सामान्य बजट में 615 योजनाओं को शामिल किया गया था।

जेंडर बजट (श्रेणी 'ए' योजनाएं) के वित्तीय आंकड़ों की विनियोग लेखे के साथ तुलना, चार प्रमुख विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास (ग्रा0वि0), स्वास्थ्य, समाज कल्याण (स0क0) और शिक्षा विभागों के संबंध में योजनाओं की संख्या और उनके अंतर्गत किए गए बजट प्रावधानों के संदर्भ में की गई। इन विभागों के कुल 71 योजनाओं में से नौ स्वास्थ्य विभाग से, 13 शिक्षा विभाग से, 18 ग्रा0वि0 विभाग से और 31 स0क0 विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान इन विभागों के तहत बजट और व्यय का वर्णन तालिका 3.34 में किया गया है।

तालिका 3.34: चार प्रमुख विभागों के अंतर्गत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	विभाग	बजट	जेंडर बजट	श्रेणी 'ए' में बजट अनुमान	योजनाओं की संख्या	योजनाओं की संख्या			
						शून्य	01 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत	76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
20	स्वास्थ्य	20,557.27	2,690.80	1,334.69	9	1	4	1	3
21	शिक्षा	55,892.37	10,909.20	1,143.93	13	1	0	4	8
42	ग्रामीण विकास	21,731.56	12,147.41	8,793.17	18	3	1	10	4
51	समाज कल्याण	13,488.03	5,083.28	840.50	31	1	8	3	19
	कुल	1,11,669.23	30,831.59	12,112.29	71	6	13	18	34


(स्रोत: 2022-23 के लिए बजट दस्तावेज और विस्तृत विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.34 से देखा जा सकता है, ग्रा0वि0 विभाग द्वारा तीन योजनाओं के तहत कोई व्यय नहीं किया गया था एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स0क0 विभागों में प्रत्येक ने एक योजना के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया था।

राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2022-23 के जेंडर बजट में विगत वर्षों के जेंडर बजट के प्रदर्शन को प्रतिवेदित नहीं किया था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय सहित किसी निष्पादन प्रतिवेदन/अभिलेख के अभाव में जेंडर बजटिंग के अंतर्गत महिलाओं को लाभ प्रदान करने वाले योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.6.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

बिहार में, कुल आबादी का 42 प्रतिशत (5.18 करोड़ बच्चे (2.45 करोड़ बालिकायें (47 प्रतिशत))) शून्य से 18 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एन0सी0टी0) और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुरूप, बिहार सरकार ने वर्ष 2013-14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना/संसाधित करना प्रारंभ कर दिया था और बाल कल्याण बजट 2022-23 के लिए ₹ 44,453.49 करोड़ (राज्य के मूल बजट का 18.70 प्रतिशत) की राशि निर्धारित की गई थी। हालांकि, बजट में योजनाओं को प्रतिशत या बजट में प्रावधान की गई राशि



के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था। फलतः, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बच्चों पर विशेष रूप से कितना व्यय किया गया था।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक राज्य बाल कल्याण बजट का विभागवार (13) विवरण तालिका 3.35 में दिखाया गया है।

तालिका 3.35: विभागवार राज्य बाल कल्याण बजट

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	विभाग	2020-21 (वास्तविकी)	2021-22 (ब0अ0)	2022-23 (ब0अ0)	विचलन (प्रतिशत में)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	0.68	15.20	14.20	(-) 6.58
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	383.27	1,487.51	1,649.57	10.89
16	पंचायती राज	3,364.02	0.00	3,707.31	100.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	0.39	0.00	2.27	100.00
20	स्वास्थ्य	151.90	257.04	63.01	(-) 75.49
21	शिक्षा	22,244.02	31,939.99	33,682.73	5.46
22	गृह	0.25	12.52	18.80	50.15
26	श्रम संसाधन	0.63	3.00	1.50	(-) 50.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण	120.33	131.00	131.00	-
35	योजना एवं विकास	41.54	0.00	0.00	-
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	566.33	252.48	292.15	15.71
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	779.08	1,376.03	1,259.37	(-) 8.48
51	समाज कल्याण	3,250.62	3,389.22	3,631.59	7.15
	कुल	30,903.06	38,863.99	44,453.49	14.38

(स्रोत: बाल कल्याण बजट 2022-23, वित्त विभाग, बिहार सरकार)

बच्चों के लिए कुल बजट आवंटन में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 14.38 प्रतिशत (₹ 5,589.50 करोड़) की वृद्धि हुई थी।

यद्यपि, बिहार सरकार ने बाल उत्तरदायी सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बाल बजट हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया और बाल बजट संहिता तैयार किया है, बाल कल्याण योजनाओं को मुख्य बजट में अलग से मानचित्रित/चिन्हित नहीं किया था।

विभिन्न घटकों के तहत बाल कल्याण बजट 2022-23 (ब0अ0) के बजटीय प्रावधानों को तालिका 3.36 में दिखाया गया है।

तालिका 3.36: 2020-21 से 2022-23 तक का बाल कल्याण बजट

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट	स्थापना एवं प्रतिबद्ध		राज्य योजना		केंद्र प्रायोजित योजना	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2020-21 (वास्तविकी)	30,903.05	11,893.83	38.49	3,940.79	12.75	15,068.43	48.76
2021-22 (बजट अनुमान)	38,863.99	11,281.25	29.03	6,262.63	16.11	21,320.11	54.86
2022-23 (बजट अनुमान)	44,453.49	15,960.18	35.90	5,839.34	13.14	22,653.97	50.96

(स्रोत: वर्ष 2022-23 का बाल कल्याण बजट)

विनियोग लेखे (2022-23) के अनुसार, 226 योजनाओं में से 119 (53 प्रतिशत) में किया गया व्यय 75 प्रतिशत से कम था। बजटीय प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां तालिका 3.37 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.37: बाल कल्याण बजट का वित्तीय प्रदर्शन (2022–23)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	समूह (व्यय प्रतिशत के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	कुल बजट (वि0वि0ले0 के अनुसार)	व्यय (वि0वि0ले0 के अनुसार)
1	100	107	45,485.17	41,836.73
2	75	37	8,685.73	5,336.97
3	50	46	18,075.49	6,871.41
4	शून्य	34	1,167.75	-
5	त्रुटि	2	-	24.76
	कुल	226	73,414.14	54,069.87

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के बाल कल्याण बजट और विनियोग लेखे)

तालिका 3.37 दर्शाता है कि ₹ 1,167.75 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 34 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो योजनाओं में बिना किसी बजटीय प्रावधान के ₹ 24.76 करोड़ के व्यय की सूचना विस्तृत विनियोग लेखे (वि0वि0ले0⁷) में दी गई थी।

2020–21 से 2022–23 तक के वर्षों के लिए, राज्य का बाल कल्याण बजट (केंद्रीय और राज्य योजनाओं सहित) का विवरण, राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर वर्गीकृत, तालिका 3.38 में दिया गया है।

तालिका 3.38: राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार बाल कल्याण बजट (ब0अ0)
2020–21 से 2022–23 का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

खंड	2020–21 (ब0अ0)			2021–22 (ब0अ0)			2022–23 (ब0अ0)		
	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत
उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण	44	4,246.90	11.40	40	3,590.32	9.28	62	7,386.61	16.62
शिक्षा और विकास	140	32,701.34	87.77	140	34,819.06	89.95	140	36,825.76	82.84
संरक्षण	18	208.66	0.56	18	198.93	0.51	18	210.82	0.47
सहभागिता	7	100.68	0.27	7	100.67	0.26	6	30.30	0.07
	209	37,257.58	100	205	38,708.98	100	226	44,453.49	100

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वर्ष 2022–23 का बाल कल्याण बजट)

जैसा कि तालिका 3.38 से देखा जा सकता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए संसाधन आवंटन वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल बाल कल्याण बजट का केवल 0.47 प्रतिशत (₹ 210.82 करोड़) और बिहार के मुख्य बजट का 0.09 प्रतिशत था।

3.6.3 हरित बजट की समीक्षा

हरित बजट का अर्थ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बजटीय नीति निर्धारण के उपकरणों का उपयोग करना है।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि-वानिकी इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। राज्य ने लगभग 13331 वर्ग किलोमीटर में फैले कुल हरित आवरण (वन क्षेत्र के बाहर और अंदर) अधिसूचित किया था, जिसमें अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष क्षेत्र 6454 वर्ग

⁷ विस्तृत विनियोग लेखे (वि0वि0ले0) सरकार के विस्तृत लेखे हैं, जो एक वित्तीय वर्ष में संबंधित उप-शीर्ष/योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की मात्रा की तुलना में उप-शीर्ष/योजना-वार व्यय को दर्शाते हैं।

किलोमीटर था। वर्तमान में, राज्य का कुल हरित आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र (94163 वर्ग किमी) का 14.16 प्रतिशत है। बिहार, भारत सरकार के अनुरूप हरित बजट तैयार करने और प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य ने मार्च 2020 (वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए) में अपना पहला हरित बजट तैयार किया था।

राज्य ने विभिन्न विभागों में हरित घटकों पर किए जाने वाले व्यय को संकलित किया। इसके अलावा, हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जो प्रभावी, कुशल और जवाबदेह योजना और पर्यावरण स्थिरता के मुद्दों को लक्षित करने, जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता और हरित बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना के अनुसार संसाधनों के बजटीय आवंटन में सहायता कर सकता था, तैयार नहीं किया था। हरित बजट के प्रावधानों का सारांश तालिका 3.39 में दिया गया है।

तालिका 3.39: 2022–23 के दौरान हरित बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020–21 का बजट अनुमान	वित्त वर्ष 2021–22 का बजट अनुमान	वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान	पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1	कुल राज्य बजट परिव्यय	2,11,761.49	2,18,302.70	2,37,691.21	8.88
2	हरित बजट के तहत चिन्हित विभागों का कुल बजट आवंटन	81,176.46	79,359.73	79,255.54	(-)0.13
3	विभाग द्वारा चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन	27,162.85	29,337.33	28,380.42	(-)3.26
4	चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के कुल हरित बजट घटक	5,693.88	7,682.91	7,399.16	(-)3.69
5	विभाग द्वारा चिन्हित कुल आवंटन में से हरित बजट का प्रतिशत	7.01	9.68	9.34	(-)3.56
6	चिन्हित विभाग की कुल योजनाओं/कार्यक्रमों में से हरित बजट का प्रतिशत	21.00	26.19	26.07	(-)0.45

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के लिए हरित बजट)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ✦ हरित बजट 2022–23 (ब0अ0) में 18⁸ विभागों के ₹ 7,399.16 करोड़ के बजटीय प्रावधान वाली 292 योजनाओं को शामिल किया गया था। राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में बजटीय प्रावधानों में 0.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, हरित बजट के प्रावधानों में 3.69 प्रतिशत की कमी आई है।
- ✦ समूह 'क' योजनाओं (100 प्रतिशत प्रावधान के साथ) के रूप में वर्गीकृत 93 योजनाओं (12 विभागों में) में से, 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत आवंटन का उपयोग केवल 35 योजनाओं में किया गया था। 10 योजनाओं में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और 26 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक प्रावधानों (₹ 719.08 करोड़ के सापेक्ष ₹ 59.93 करोड़) का उपयोग किया गया था। अन्य 22 योजनाओं में ₹ 417.14 करोड़ के बजट की उपलब्धता के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था।

⁸ एक विभाग यानी उद्योग विभाग को हरित बजट में सूचीबद्ध किया गया है जिसने न तो कोई प्रावधान किया था और न ही कोई व्यय किया था।

★ वर्ष 2022-23 के हरित बजट में 12 योजनाओं को एक से अधिक समूहों में वर्गीकृत किया गया और दो⁹ योजनाओं को एक ही समूह में दो बार पाया गया, जिसमें अलग-अलग राशि के प्रावधान थे। हरित बजट की समीक्षा के दौरान इन त्रुटियों की अनदेखी की गई है।

विभागवार व्यय रुझानों से पता चला कि सभी 12 विभाग, 100 प्रतिशत आवंटन के साथ चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कुल हरित अनुमानों के ₹ 3,868.32 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 2,443.74 करोड़ (63.17 प्रतिशत) ही व्यय कर सके। इससे यह संकेत मिलता है कि ये विभाग हरित बजट पेश करने के उद्देश्य को न्यायोचित नहीं ठहरा रहे थे, क्योंकि वे आवंटनों का 37 प्रतिशत व्यय करने में विफल थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ₹ 678.21 करोड़ के कुल आवंटन के सापेक्ष केवल ₹ 502.05 करोड़ (74.03 प्रतिशत) ही व्यय कर सका।

योजनाओं का समूह-वार उपलब्धि तालिका 3.40 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.40: हरित बजट के अंतर्गत योजनाओं की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

समूह	अंश (प्रतिशत में)	योजनाओं की संख्या		कुल बजट	किया गया व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत में)
		हरित बजट (ब0अ0)	विनियोग लेखे			
ए	100	93	93	3,868.32	2,443.74	63.17
बी	75-90	23	23	504.16	सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि बजट तथा व्यय सहित निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत विशिष्ट मर्दे उपलब्ध नहीं थीं।	
सी	50-75	31	31	3,517.62		
डी	25-50	39	39	3,956.92		
ई	05-25	61	61	7,203.39		
एफ	01-05	45	45	9,316.28		
कुल		292	292	28,366.70		

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे के साथ हरित बजट)

वास्तविक व्यय सहित किसी विशिष्ट निष्पादन प्रतिवेदन/दस्तावेजों के अभाव में लेखा परीक्षा द्वारा योजनाओं की प्रभावकारिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, हरित बजट और विनियोग लेखे को एक-दूसरे के साथ संरेखित नहीं किया गया था। फलतः, लेखापरीक्षा विनियोग लेखे से हरित बजट पर किए गए व्यय की राशि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

बिहार सरकार ने हरित बजट 2022-23 में इस आशय का एक अस्वीकरण दिया था कि:

1. पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए योजना आधारित बजट अनुमानों का विश्लेषण, पर्याप्त नहीं है;
2. हरित बजट में केवल सकल बजट अनुमानों और चिन्हित विभाग-वार योजनाओं और कार्यक्रमों के वास्तविक आवंटन और व्यय का हिसाब रखा गया है, इसलिए परिणाम इसके परिणामों या व्यय की शुद्ध स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं और
3. पर्यावरण नियमों को बजट प्रक्रिया के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, हरित बजट पर्यावरणीय व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।

⁹ ग्रुप ए में 19-2406011050105, ग्रुप सी में 01-2401007890335।

यह संकेत करता है कि सरकार ने हरित बजट के अंतर्गत शामिल योजनाओं के संबंध में किए गए व्यय के परिणामों को मापने के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण संकेतक के हरित बजट तैयार किया था। इसके अतिरिक्त, लक्ष्यों/उद्देश्यों, जिनके लिए ये आवंटन किए गए थे, की उपलब्धि को मापा अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.7 परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा

परिणाम बजट, सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। परिणाम बजट पर उपलब्धि प्रतिवेदन, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। यह जनता को संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और अपने वित्तीय व्यवहार में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है। परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और बजटीय उपलब्धियों के बीच एक सह-संबंध स्थापित करना और न केवल मध्यवर्ती भौतिक परिणाम बल्कि उपलब्धियों पर भी नजर रखना है।

बिहार में परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन, जिसमें महत्वपूर्ण संभावित वास्तविक उपलब्धियां प्रदर्शित की गई हैं, का निर्माण 2006-07 में प्रारंभ किया गया था।

तालिका 3.41: वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष योजनाओं की संख्या एवं उनके विरुद्ध व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बजट अभिलेख	योजनाओं की संख्या ¹⁰	बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय
1	विनियोग लेखे (ब0अ0)	2139	2,37,691.21	2,31,451.30
2	परिणाम बजट (ब0अ0)	1404	1,29,863.44	1,30,181.14
3	उपलब्धि प्रतिवेदन (वास्तविकी)	894	1,05,974.98	1,19,935.86

(स्रोत: परिणाम, जेंडर, बाल कल्याण और हरित बजट 2022-23 के साथ विनियोग लेखे)

वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट की समीक्षा के लिए दो विभागों यानी कृषि और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का चयन किया गया था।

3.7.1 परिणाम बजट के सापेक्ष वित्तीय परिव्यय

3.7.1.1 परिणाम बजट एवं उपलब्धि प्रतिवेदन के संदर्भ में सकल बजटीय परिव्यय

राज्य सरकार ने परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में आने वाली योजनाओं की संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया था। उपलब्धि प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से दी गई योजनाएँ परिणाम बजट में प्रतिवेदित योजनाओं में से ही हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमानों में शामिल 2139 योजनाओं में से 1404 योजनाओं को परिणाम बजट में शामिल किया गया। परिणाम बजट के सापेक्ष तैयार की गई उपलब्धि प्रतिवेदन में हालांकि केवल 894 योजनाएँ शामिल थीं। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए योजना समूह-वार वित्तीय और भौतिक उपलब्धि (बिल कोड के निरपेक्ष), तालिका 3.42 और 3.43 में प्रदर्शित हैं।

¹⁰ मूल बजट अनुमान 2022-23 में शामिल योजनाओं (बिल कोड) की संख्या।

तालिका 3.42: बजट प्रावधानों के सापेक्ष में भौतिक उपलब्धियां

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/ उप-योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	मूल बजट के सापेक्ष उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित की गई योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	432	426	228	98.61	52.78
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	928	205	130	22.09	14.01
राज्य की योजनाएँ	779	773	536	99.23	68.81
कुल	2139	1404	894	65.64	41.80

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

मूल बजट की केवल 65.64 प्रतिशत और 41.80 प्रतिशत योजनाओं को क्रमशः परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। परिणाम बजट में शामिल योजनाओं में से केवल 63.67 प्रतिशत का मूल्यांकन उपलब्धि प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार शेष योजनाओं की उपलब्धियों के संबंध में कोई सूचना नहीं थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में, योजनाओं की संख्या 2139 से बढ़ाकर 2448 कर दी गई थी। इन अतिरिक्त योजनाओं को, परिणाम बजट या उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का, बजट प्रावधानों के आधार पर मूल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां तालिका 3.43 में दी गई हैं।

तालिका 3.43: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल बजट (परिणाम बजट)	किया गया व्यय	व्यय (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	87,274.73	56,640.46	64.90
स्थापना एवं प्रतिबद्ध	34,580.83	26,825.27	77.57
राज्य की योजनाएँ	59,321.84	46,715.42	78.75
कुल	1,81,177.40	1,30,181.15	71.85

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

तालिका 3.43 से यह देखा जा सकता है कि इन योजनाओं के लिए ₹ 1,81,177.40 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष, वर्ष के दौरान केवल 71.85 प्रतिशत (₹ 1,30,181.15 करोड़) निधि का व्यय किया गया था।

3.7.1.2 नौ प्रमुख अनुदानों/विभागों के परिणाम बजट एवं उपलब्धि प्रतिवेदन के सापेक्ष सकल बजटीय परिव्यय

बिहार सरकार 51 अनुदानों और 44 विभागों के माध्यम से अपने वित्तीय तंत्र का प्रबंधन करता है। इन 44 विभागों में से नौ विभाग राज्य के कुल बजट का 70 प्रतिशत (₹ 3,01,786.46 करोड़ में से ₹ 1,81,742.38 करोड़) हिस्सेदारी रखते हैं। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका 3.44 में दिया गया है।

तालिका 3.44: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियाँ

(₹ करोड़ में)

अनुदान – विभाग	बजट 2022–23			परिणाम बजट बनाम उपलब्धि प्रतिवेदन 2022–23				
	योजनाओं की संख्या	बजट	व्यय	परिणाम बजट में योजनाओं की संख्या	उपलब्धि प्रतिवेदन में योजनाओं की संख्या	उपलब्धि प्रतिवेदन की योजनाओं के लिए बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित व्यय	प्रतिशत उपलब्धि
21–शिक्षा	218	55,892.37	42,095.78	164	114	40,420.03	34,980.18	86.54
42–ग्रामीण विकास	76	21,731.56	18,412.91	66	46	21,099.02	18,002.96	85.33
20–स्वास्थ्य	200	20,557.27	12,013.95	82	47	9,843.21	6,077.59	61.74
10–ऊर्जा	26	16,549.12	16,207.98	13	9	2,501.35	2,426.89	97.02
22–गृह	102	15,070.01	11,811.93	16	14	1,555.64	887.94	57.08
37–ग्रामीण कार्य	17	13,941.96	9,478.96	13	11	9,707.70	6,231.85	64.19
16–पंचायती राज	46	13,571.65	8,661.18	39	31	12,086.70	8,250.39	68.26
51–समाज कल्याण	138	13,488.03	11,192.66	92	67	12,435.55	10,185.31	81.90
48–नगर विकास एवं आवास	125	10,940.41	6,546.06	83	35	3,868.56	2,136.07	55.22
कुल	948	1,81,742.38	1,36,421.41	568	374	1,13,517.76	89,179.18	78.56

(स्रोत: वर्ष 2022–23 के विनियोग लेखे)

जैसा कि तालिका 3.44 से स्पष्ट है:

- ✦ इन नौ विभागों की 948 योजनाओं के सापेक्ष, केवल 568 (59 प्रतिशत) योजनाओं के लक्ष्यों/परिणामों को परिणाम बजट में निर्धारित/शामिल किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के लिए उपलब्धि प्रतिवेदन में केवल 374 (568 का 65 प्रतिशत और 948 का 39 प्रतिशत) योजनाओं की ही उपलब्धियां दर्ज की गईं।
- ✦ उपलब्धि प्रतिवेदन में ₹ 89,179.18 करोड़ (₹ 1,81,742.38 करोड़ का 49 प्रतिशत) की योजनाओं की ही वित्तीय उपलब्धियां दर्ज की गई हैं।

उपलब्धि प्रतिवेदन में सभी योजनाओं, जो परिणाम बजट में निहित थीं, के पूर्ण प्रकटन के अभाव में इन प्रतिवेदनों को तैयार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा, परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में आने वाली योजनाओं की संख्या के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं करते हुये केवल आंशिक जानकारी दी गई थी।

3.7.2 चयनित विभागों का वित्तीय प्रदर्शन

अनुदान संख्या-01 कृषि विभाग एवं अनुदान संख्या-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन, परिणामों के सापेक्ष उपलब्धियों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

3.7.2.1 अनुदान संख्या 01: कृषि विभाग

कृषि विभाग के पास 2022–23 के दौरान ₹ 4,379.62 करोड़ का बजट प्रावधान था। विभाग की वित्तीय एवं साथ ही भौतिक उपलब्धियां, तालिका 3.45 और 3.46 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 3.45: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल परिणाम बजट	व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	1,276.80	321.96	25.22
राज्य की योजनाएँ	2,092.22	1,594.98	76.23
कुल	3,369.02	1,916.94	56.90

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

इन योजनाओं के लिए ₹ 3,369.02 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष वर्ष के दौरान केवल 56.90 प्रतिशत (₹ 1,916.94 करोड़) की राशि व्यय की गई।

तालिका 3.46: बजट प्रावधानों के सापेक्ष भौतिक उपलब्धि

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/ उप-योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	78	78	39	100	50.00
राज्य की योजनाएँ	51	51	41	100	80.39
कुल	129	129	80	100	62.01

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

इस प्रकार, उपलब्धि प्रतिवेदन में कुल योजनाओं के केवल 62.01 प्रतिशत योजनाओं को ही प्रतिवेदित किया गया था।

3.7.2.2 अनुदान संख्या 36: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

वर्ष 2022-23 के दौरान, लोकस्वा0अभि0 विभाग के पास ₹ 2,480.38 करोड़ का बजट प्रावधान था। विभाग की वित्तीय एवं साथ ही भौतिक उपलब्धियों को तालिका 3.47 और 3.48 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.47: बजट प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	कुल परिणाम बजट	किया गया व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत)
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	600.00	297.05	49.51
राज्य की योजनाएँ	1,447.65	1,337.08	92.36
कुल	2,047.65	1,634.13	79.81

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

इन योजनाओं के लिए ₹ 2,047.65 करोड़ के कुल प्रावधानों के सापेक्ष, वर्ष के दौरान केवल 79.81 प्रतिशत (₹ 1,634.13 करोड़) की निधि का ही व्यय किया गया था।

तालिका 3.48: बजट प्रावधानों के सापेक्ष भौतिक उपलब्धियां

योजना समूह	लेखा शीर्षों/बिल कोड/ उप-योजना की कुल संख्या			परिणाम बजट में शामिल योजनाओं का प्रतिशत	उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल योजनाओं का प्रतिशत
	मूल बजट	परिणाम बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन		
केंद्रीय प्रायोजित/क्षेत्र योजनाएँ	6	6	3	100	50.00
राज्य की योजनाएँ	21	21	16	100	76.19
कुल	27	27	19	100	70.37

(स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे)

इस प्रकार, उपलब्धि प्रतिवेदन में कुल योजनाओं के केवल 70.37 प्रतिशत योजनाओं को ही प्रतिवेदित किया गया था।

3.8 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा

3.8.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति (अ0जा0) और अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) के सर्वांगीण बहुआयामी विकास यानी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार सरकार (अप्रैल 2007) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गयी थी। यह विभाग बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सभी योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने के लिए नोडल विभाग है।

3.8.2 बिहार में अनुसूचित जाति (अ0जा0) और अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0) की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार 10.41 करोड़ की कुल जनसंख्या के साथ देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य भी है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति हैं। राज्य में अ0जा0 की आबादी 16 प्रतिशत (1.66 करोड़) जबकि अ0ज0जा0 की आबादी 1.25 प्रतिशत (0.13 करोड़) प्रतिवेदित की गई थी, जैसा कि तालिका 3.49 में वर्णित है।

तालिका 3.49: बिहार की श्रेणी-वार जनसांख्यिकी

(करोड़ में)

श्रेणी	जनसंख्या (2001)	प्रतिशत	जनसंख्या (2011)	प्रतिशत	दशकीय वृद्धि [#]
सामान्य	6.92	83.37	8.62	82.81	24.58
अनुसूचित जाति (अ0जा0)	1.30	15.72	1.66	15.91	26.97
अनुसूचित जनजाति (अ0ज0जा0)	0.08	0.91	0.13	1.28	76.25
कुल	8.30	100	10.41	100	25.42

(स्रोत: अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग की वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन)

[#] किसी विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (2001 और 2011 के बीच)

3.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए नियत योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन क्रमशः विभाग के माध्यम से और विशिष्ट लघु शीर्षों (एमआईएच)-789 और 796 के तहत अन्य विभागों के माध्यम से किया जाता है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए दोनों घटकों की वित्तीय उपलब्धियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.8.3.1 अन0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए विभाग की वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका 3.50 में प्रदर्शित है।

**तालिका 3.50: अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कल्याण विभाग की वित्तीय उपलब्धियां
(2018-19 से 2022-23)**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	बचत	अभ्यर्पण	प्रतिशत अभ्यर्पण
2018-2019	49	1,468.63	1,022.92	69.65	445.72	406.43	91.19
2019-2020	50	1,599.63	1,121.26	70.10	478.37	10.00	2.09
2020-2021	51	1,727.31	1,270.24	73.54	457.08	2.50	0.55
2021-2022	55	1,923.20	1,456.48	75.73	466.72	33.96	7.28
2022-2023	56	2,116.53	1,628.09	76.92	488.44	66.72	13.66
कुल		8,835.31	6,498.99	73.56	2,336.32	519.61	22.24

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

तालिका 3.50 से पता चलता है कि:

- ★ वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, विभाग अपने आवंटन के केवल 73.56 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका।
- ★ इस अवधि के दौरान ₹ 2,336.32 करोड़ की बचत में से केवल 22.24 प्रतिशत (₹ 519.61 करोड़) बचत का ही अभ्यर्पण किया गया।

यद्यपि, विभाग विशेष रूप से अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 समुदायों के लिए कार्यरत था, तथापि, बजटीय आंकड़ों की जांच से पता चला कि ₹ 63.39 करोड़ (₹ 56.54 करोड़ का व्यय) के बजट प्रावधान के साथ लघु शीर्ष '789' के तहत केवल एक योजना (सिर्फ 2022-23 में), और 2018-19 से 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष '796' के तहत ₹ 145.40 करोड़ (₹ 36.12 करोड़ का व्यय) के बजट प्रावधान के साथ तीन योजनाओं को शामिल किया गया था, जिनका उपयोग अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 समुदायों से संबंधित योजनाओं के लिए अन्य विभागों द्वारा किया जाना था।

बजटीय प्रावधानों का उपयोग न करना, अनुपयोगित धन के अभ्यर्पण में विफलता और सतत और उल्लेखनीय बचत, विभाग की कमजोर वित्तीय प्रबंधन को प्रकट करती है।

3.8.3.2 अन्य विभाग

अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग के अलावा, लघु शीर्ष '789' और '796' के तहत अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं (लेखा शीर्षों) का विवरण तालिका 3.51 एवं तालिका 3.52 में दिया गया है।

तालिका 3.51: लघु शीर्ष-789 के अंतर्गत योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2018-2019	178	17,722.15	12,350.12	69.69
2019-2020	184	18,096.25	10,568.36	58.40
2020-2021	190	18,040.42	10,139.09	56.20
2021-2022	213	18,767.31	12,500.43	66.61
2022-2023	233	23,873.28	16,389.36	68.65
कुल	998	96,499.41	61,947.36	64.19

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

पाया गया कि:

- ✦ वर्ष 2022-23 में, लघु शीर्ष '789' के तहत कुल बजट प्रावधानों के 68.65 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था, जो राज्य के कुल बजट के 77.95 प्रतिशत उपयोग से कम था।
- ✦ राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन विभागों की वित्तीय उपलब्धि 0.48 प्रतिशत से 21.70 प्रतिशत के बीच थी।
- ✦ 44 विभागों में से 26 विभाग इन लघु शीर्षों के तहत अ0जा0 और अ0ज0जा0 के लिए योजनाएं लागू कर रहे थे। इन 26 विभागों में से दो¹¹ अनुदान/विभागों की वित्तीय उपलब्धियां पांच प्रतिशत से कम थीं और छह¹² विभागों का निष्पादन 50 प्रतिशत से कम था।

तालिका 3.52: लघु शीर्ष-796 के अंतर्गत योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	कुल बजट	व्यय	बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2018-2019	138	1,827.07	887.24	48.56
2019-2020	143	1,849.72	1,090.48	58.95
2020-2021	148	1,381.85	871.98	63.10
2021-2022	168	1,966.38	1,370.41	69.69
2022-2023	180	2,562.96	1,695.45	66.15
कुल	777	9,587.97	5,915.56	61.70

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख, बिहार सरकार)

देखा गया कि:

- ✦ वर्ष 2022-23 में, लघु शीर्ष '796' के तहत किए गए कुल बजट प्रावधान के 66.15 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था, जो राज्य के कुल बजट के 77.95 प्रतिशत उपयोग से कम था।
- ✦ 44 विभागों में से 26 विभाग, इन लघु शीर्षों के तहत अ0जा0 और अ0ज0जा0 के लिए योजनाएं लागू कर रहे थे। इन 26 में, राजस्व और भूमि सुधार विभाग की वित्तीय उपलब्धि 'शून्य' (₹ 4.15 करोड़ के निधि के सापेक्ष) थी। अन्य छह¹³ अनुदानों/विभागों में व्यय 25 प्रतिशत से कम (₹ 89.42 करोड़ के सापेक्ष) था।

निधि की उपलब्धता और बजट में योजनाओं को शामिल किये जाने के बावजूद, लघु शीर्षों 789 और 796 के अंतर्गत शामिल योजनाओं की उपलब्धि 2022-23 के बजट की समग्र उपलब्धि से कम थी।

3.9 निष्कर्ष

- ✦ अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आधार पर नहीं किए गए थे क्योंकि 20 अनुदानों के अंतर्गत 22 मामलों में ₹ 18,491.79 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक सिद्ध हुए थे और पूर्णतः अनुपयोगित रहे थे क्योंकि व्यय (₹ 83,802.17 करोड़) मूल प्रावधानों (₹ 1,03,251.69 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था।
- ✦ राज्य सरकार, वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कुल बजट प्रावधानों के केवल 77.95 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी।

¹¹ राजस्व एवं भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग विभाग।

¹² पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, शिक्षा, परिवहन, नगर विकास एवं आवास तथा लघु जल संसाधन विभाग।

¹³ ऊर्जा, पंचायती राज, पथ निर्माण, गन्ना उद्योग, परिवहन एवं लघु जल संसाधन विभाग।

- ✦ 12 अनुदानों के अंतर्गत 32 योजनाओं में, यद्यपि ₹ 4,053.49 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ 25 करोड़ या इससे अधिक) का परिव्यय अनुमोदित था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था।
- ✦ सघन व्यय के मामले में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, 19 अनुदानों के तहत 48 योजनाओं में ₹ 7,695.44 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2023 के महीने में किया गया था।
- ✦ हालांकि वर्ष 2005-06 के बजट प्रावधानों (₹ 28,976.40 करोड़) की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान (₹ 3,01,686.46 करोड़) 10 गुना से अधिक थे, लेकिन विनियोग लेखे के लिए अनुमोदित बजटीय आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के मानदंड को संशोधित नहीं किया गया था।
- ✦ वर्ष के दौरान ₹ 66,509.62 करोड़ की कुल बचत में से केवल 30.86 प्रतिशत (₹ 20,526.71 करोड़) की बचत का अभ्यर्पण किया गया। यह बचत अनुपूरक प्रावधानों का 103.93 प्रतिशत थी।
- ✦ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹ 3,327.42 करोड़ की राशि के 15 आहरण किए थे, जो व्यय की प्रत्याशित प्रकृति के लिए थे।

3.10 संकेतक

बजट और विनियोग लेखे के विश्लेषण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित संकेतक चिन्हित किए गए हैं:

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
<ul style="list-style-type: none"> ✦ बच्चों के प्रति उत्तरदायी सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से बाल बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। ✦ बाल बजट संहिता तैयार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ जेंडर बजट और हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया जाना। ✦ बिहार कोषागार संहिता को लेखांकन के सी0एफ0एम0एस0 युग के संदर्भ में संशोधित/अद्यतन नहीं किया जाना। ✦ जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट के प्रावधानों का आम बजट में अलग से उल्लेख नहीं किया जाना।

3.11 अनुशंसाएँ

सरकार:

- ✦ अभ्यर्पण में कमी लाने के लिए, विभागों को बजटीय आवंटन समय पर जारी करने की प्रणाली विकसित करे।
- ✦ सुनिश्चित करे कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी जाएं, ताकि राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- ✦ निरंतर बचत के कारणों की समीक्षा करे और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- ✦ वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय की निगरानी और नियंत्रण करें।
- ✦ सार्वजनिक व्यय में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभागों को जेंडर बजट/ बाल कल्याण बजट/ हरित बजट तथा परिणाम बजट के लिए निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें।